

Ar. NISHI JAIN

(CERTIFIED REGISTERED ARCHITECT)

C/o M/s Jain and Jain Architect

Shivganj, Arrah, Bihar

Pin-802301

Mob.-07250125252, 09471095900

email : ar_nishijain@rediffmail.com

Ref. No. : VD/SPS/G+3/Resd./PR-1266/Exc-1977/DNR-Sy/12-13 Date : 25/03/13

To,

The Municipal Commissioner/Executive Officer,

.....DNR (Nizamati).....Nagar Nigam/Parishad/Panchayat.

Subject : Receiving of Approved Building Plans

Reference : Approval of Building plans for Plot/Khasra no.....^{186, 197, 198, 199} Khata No. 11819,...

Ward No....., Thana no. 22.....at, Muhalla.....Jaladpur.....

Block.....DNR (Nizamati)....., Dist.....Patna.....

Under.....DNR (Nizamati).....Nagar Nigam/Parishad/Panchayat.

For Mr./Mrs. D. Sri Kalika Rai, S/o Late Kushi Rai, (D. Sri. Jagan Kumar,

S/o W/o. S. D. Sri Mukesh Rai, S/o. S. Mani, K. Rai, (D. Sri. Anand Lal Rai

R/o. S. D. Sri Chandrasekhar, D. Sri Jagdish Rai, (D. Sri. Sankar Deo Rai, S/o
Sri Rami Sagar Rai, Vill- Jaladpur, PS- Danupur, Dist- Patna.

Sir,

This is to inform you that the building plans of above mentioned reference has been sanctioned with Plan Case No. VD/SPS/G+3/Resd./PR-1266/Exc-1977/DNR-Sy/12-13 Dated 25/03/13. I am submitting herewith a file containing documents.

1. Sanction letter by certified registered Architect.
2. Site Plan showing the location of site proposed to be built upon, Building plans (All Floor Plans, Front and side elevations and sections with structural details), Service plans showing sewerage, water lines. (In Duplicate)
3. Certificate of technical personnel to supervise the construction.
4. Specifications of the proposed building.
5. Land Ownership Document i.e. Sale Deed/possession letter/Registry/Receipt etc.
6. Affidavit / Indemnity Bond.
7. The Requisite Building Permit Fee of Rs. 7200/- @ 1/- Construction area has been deposited vide Demand Draft, Bank SBI (D/D) No. dated 25/03/13 amount 7200/- in favour of (for Nagar Parishad/Panchayat) The Municipal Executive Officer.....DNR.....(for Nagar Nigam) The Municipal Commissioner.....Payable at Jaladpur.....
8. The Requisite Co-operative Development Fee of Rs. @ Rs. per Kattha has been deposited vide Demand Draft, Bank.....@ Rs. per Kattha (D/D) No. dated in favour of Payable at Nizamati.....

Ar. Nishi Jain

COA Regd. No.-CA/2010/48285

ULB Empanelment No. 474

Location :-

1ST FLOOR, JAIN HARDWARE, SHIVGANJ, ARA

AR. NISHI JAIN

CERTIFIED REGISTERED ARCHITECT

Co M/s Jain and Jain Architect

Stagari, Arrah, Bihar

Pin-802301

Mob-09801070800, 09471095900

email : ar_nishijain@rediffmail.com

Ref. No. : VD/SPS/G+3/Read/New/PR-1266/Fin-1077/DNR-50/11.13

Date : 25/03/13

BUILDING PERMIT

To : S/o. Kalika Rai, S/o. Late Kushi Rai, S/o. Sri Anand Kumar, S/o. Sri Prakash Rai, S/o. Mahika Rai, S/o. Sri. Bhavath Lal Rai, S/o. Sri Chandra Deo Rai, S/o. Sri Jagdish Rai, S/o. Sri Sakal Deo Rai, S/o. Sri Ram Sagar Rai, Vill-Jalapur, PS-Danapur, Dist-Patna.

Subject : Approval of Building plans for Plot/Khazra no. 196, 187, 188 (P) Khata No. 4/219, Ward No. Thana No. 22 at, Muhalla Jalapur, Block DNR(Nizamati), Dist. Patna, Under DNR(Nizamati) Nagar Nigam / Parishad / Panchayat.

Reference : Your Plan case No. VD/SPS/G+3/Read/New/PR-1266/Fin-1077/DNR-50/12-13 Dated 25/03/13, for permission to erect/re-erect, addition/alteration of a Read building type.

**The permission is hereby granted subject to the following conditions :
(Under Provision section 314 of Bihar Municipal act 2007)**

1. That you will abide by the Rules and Regulations of Corresponding Urban Local Body.
2. That you will get the set backs of your building checked at plinth level and shall obtain/submit a DPC certificate from competent person before further work.
3. The Responsibility of the structural design and structural stability of the building shall be solely of the supervising Architect/Engineer/Owner. The Owner shall ensure to make adequate provisions in building structure to meet the requirement of earthquake resistance standards.
4. The owner shall be entirely responsible for making adequate provision for Fire Safety as per NBC/Rules.
5. The basement shall be constructed after leaving a clear margin of 6 ft from the adjoining plots/ building, if the adjoining building is already constructed without basement. Further, the basement shall be used only for purpose shown in approved plans.
6. The validity of building plans is for three years only from the date of Approval.
7. That you will obtain Occupation Certificate before occupying the above said building from competent Authority.
8. This sanction will be invalid if the conditions aforesaid are not complied with.
9. That you will provide the required land for road widening as desired by Govt./Authority to maintain the minimum road width of 6.00 meter as directed by the Bihar Municipal act 2007 section 235.

NISHI JAIN
Architect (B. Arch. Agra)
CoA Regd No. CA/2010/48285

Ar. Nishi Jain

पटना नगर निगम

कार्यालय : पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विपटित)

योजना प्रतियेदन (प्लानिंग रिपोर्ट)

पृष्ठ :- अन्वेषण संख्या : 792 तारीख : 12/3/12

1. अन्वेषक का नाम : श्री. नाथिका शर्मा एवं अन्य

2. प्लॉट का विवरण :

जिल्हा : पटना

तहसील (खसरा) प्लॉट सं. : 164157 एवं 185339, धारा सं. : 22

मुद्रित प्लॉट सं. : , शीट सं. :

सर्वेक्षण सं. : नुमासपुर, राजपुत्र/गुहल्ला : नुमासपुर

प्लॉट का क्षेत्रफल : 1.60 ए० 13.51, गेजट सं. : 83

प्लॉट का संकेतन : 19-55-1 (अ-सी-क-डू) प्रामोद

प्लॉट का रकबा : 19.55-1 (अ-सी-क-डू) प्रामोद

3. क्या प्लॉट किसी सरकारी अंश/टेकिंग/पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विपटित)/

इंटरनेट पोर्टल/कागज महसूल द्वारा आवंटित है : नहीं है

यदि हाँ, तो आवंटित करने वाले प्राधिकार का नाम :

इंटरनेट का नाम : , प्लॉट सं. :

4. क्या प्लॉट किसी गृह निर्माण सहयोग समिति के जमीन का अंश है : नहीं है

यदि हाँ, तो क्या गृह निर्माण सहयोग समिति के जमीन का से-आउट प्लान स्वीकृत है : नहीं है

यदि हाँ, तो से-आउट प्लान किस सं. : , प्लॉट सं. :

5. की-प्लान (Key Plan) संतान है : हाँ हाँ/नहीं

6. क्या अन्वेषक का प्लॉट -

(क) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी अंश/टेकिंग या किसी अन्य एजेंसी द्वारा

अधिग्रहित जमीन का अंश है : नहीं है

(ख) पुणर्वसन एवं विकास विभाग के द्वारा घोषित प्रतिबंधित/संरक्षित क्षेत्र पड़ता है : नहीं है

(ग) पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विपटित)/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारी अंश/टेकिंग

के किसी योजना (स्कीम) से प्रभावित है : नहीं है

(घ) खास महसूल जमीन का अंश है : नहीं है

(ङ) किसी गृह निर्माण सहकारी समिति के जमीन, जिसका से-आउट स्वीकृत नहीं है,

का अंश है : नहीं है

7. कौटुंबिक (6) में वर्णित किसी भी बिन्दुओं का उत्तर यदि हाँ है तो राक्षम पराधिकारी से अनुमति पत्र प्राप्त कर बिल्डिंग प्लान आवेदन पत्र के साथ सम्बंधित करेंगे।

नोट:- (क) राजपत्र अधिसूचना की एक छाया प्रति जिसमें प्लॉट को अधिग्रहण से मुक्त किया गया है। (6 'क' के संदर्भ में लागू)

(ख) पुणर्वसन एवं विकास विभाग, भारत सरकार/राज्य सरकार से अनुमति पत्र। (6 'ख' के संदर्भ में लागू)

(ग) बिल्डिंग प्लान समर्पित नहीं किया जा सकता है। (6 'ग' के संदर्भ में लागू)

(घ) जिलाधिकारी का अनुमति पत्र। (6 'घ' के संदर्भ में लागू)

(ङ) बिल्डिंग प्लान समर्पित नहीं किया जा सकता है। (6 'ङ' के संदर्भ में लागू)

8. पटना के महायोजना के अनुसार प्लॉट का प्रस्तावित भूमि उपयोग आवासीय है।

9. क्या प्लॉट प्रस्तावित महायोजना सड़क से प्रभावित है : नहीं है

यदि हाँ तो क्या प्लान में विवरण दर्शाया गया है : नहीं है

10. क्या कोई सर्वे सड़क/सर्वे डग/पैडन उबल प्लॉट से होकर गुजरता है या प्लॉट में स्थित है : हाँ

यदि हाँ तो सड़क/डग/पैडन की मूल कैंडेस्ट्रल/मुनिसिपल नक्शा के अनुसार चौड़ाई : सर्वे नक्शा के अनुसार

11. प्रस्तावित जनसंख्या घनत्व (चौ०मी०/ए०) : 300

12. प्लॉट का अनुमान्य तल रकबा अनुपात (ए०मी०/आ०) : 2.50

- अगर प्लॉट का रकबा 250 वर्ग मीटर से अधिक एव 1000 वर्ग मीटर से अधिक है तो 50
- अगर प्लॉट का रकबा 1000 वर्ग मीटर से अधिक है तो 100
14. (क) यह प्लॉट एयरपोर्ट प्राधिकरण के परिपत्र के अनुसार 23.00 मोटर है।
- (ख) यह प्लॉट पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) के कार्यालय आदेश संख्या-94/02 दिनांक-13.06.02 से प्रमाणित है/नहीं है।

अगर प्लॉट, पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) के कार्यालय आदेश सं.-94/02 दिनांक-13.06.02 से प्रमाणित तो भवन की अधिकतम अनुमान्य ऊँचाई 11 मोटर होगी।

नोट :- अगर प्लॉट कोडिका-14 (ख) से प्रभावित नहीं है और आवेदक कोडिका-14 (क) में वर्णित सामान्य अनुमान्य ऊँचाई अधिक ऊँचाई का भवन निर्माण करना चाहता है या प्लॉट रेड जोन में पड़ता है तो एयरपोर्ट प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण लेना अनिवार्य होगा एवं इसके लिए भवन की ऊँचाई में छत पर निर्मित सभी निर्माण यथा-पानी, टंकी, सीढ़ीघर, ममदी, लिफ्ट, नरीनर रूम आदि में जिसकी ऊँचाई सबसे अधिक है, शामिल होगा।

15. विकास शुल्क (उत्तरे श्रीकृष्णापुरी योजना) के रूप में मो. रु. प्रति कट्टा की दर से देय है/ नहीं देय है।
16. यह योजना प्रतिवेदन आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना एवं पटना नगर निगम, कार्यालय-पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित) में उपलब्ध रेकॉर्ड के आधार पर तैयार किया गया है।

नॉ नो एवं नो नो के पत्रांक-8 नो नो/कस्तु
09/2012. 805 नो नो एवं नो नो,
दिनांक-27.12.2012 के अन्तर्गत में भवन की
अधिकतम ऊँचाई 11.00 (ग्यारह) मोटर तक हो होगी।

* सं. लाभी / 10051 सं. नं. पर पटना सिटी में नो नो की समुचित व्यवस्था
अपने नो नो पर नो नो के उपलब्ध है नो नो की स्वीकृति प्राप्त करेगा
भाषिक नो नो सिटी एवं नो नो की समुचित व्यवस्था नो नो नगरपालिका
आ. नि. नं. 2007. सं. नं. 201 एवं 207 के तहत उपलब्ध है।
है नो नो की स्वीकृति 24.12.2012

डा. पदसमैन् का हस्ताक्षर
तिथि : 23/3/13

17. इस योजना प्रतिवेदन में निहित सभी प्रविष्टि की जाँच एवं सत्यापन मो. द्वारा किया गया है।

न्याय संख्या - 1286

सहायक निदेशक का हस्ताक्षर
तिथि :
पटना नगर निगम
कार्यालय-पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)।
/प.क्षे.वि.प्रा. (अर्बन प्लानिंग), पटना, तिथि - 23.03.2013

उपनिदेशक का हस्ताक्षर
तिथि :
पटना नगर निगम

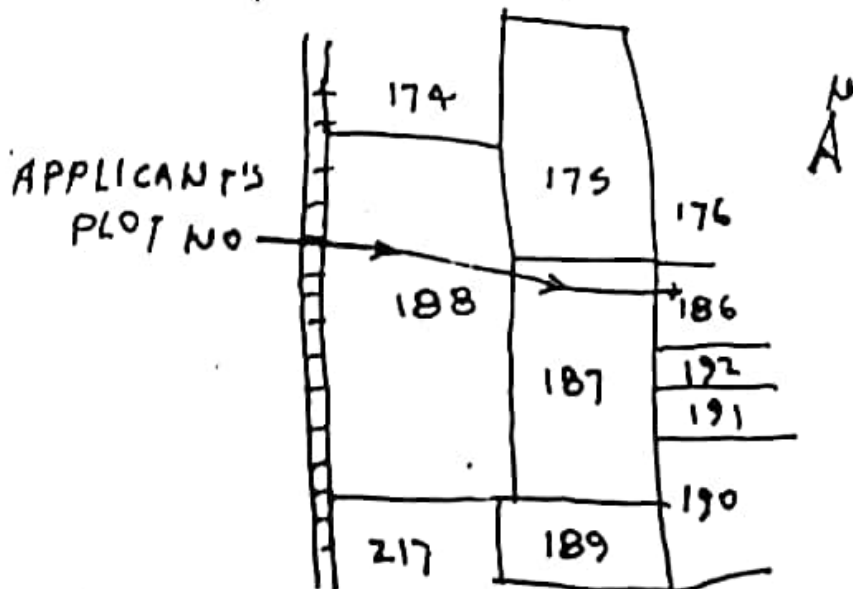
निदेशक का हस्ताक्षर
तिथि :
पटना नगर निगम

कार्यालय-पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)।

कार्यालय-पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (विघटित)।

APP. NO. 792.

KEY PLAN FOR C.S. PLOT NO-
~~186~~ 187, 188, THANA NO-22,
MAUDA - JALALPUR, PATNA
SCALE - 1" = 330'-0"




23/3/13
SIG. OF D/M.


23/3/13
DIRECTOR

